न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :–श्रीनिधि बी टी (आई0ए0एस0)जिला कलक्टर, धौलपुर

मुकदमा नम्बर 10/2025 **जी.सी.एम.एस.न0 2025/18**

व उनवानी प्रकरण :–

बृजेश पुत्र श्री रामबाबू जाति त्यागी निवासी ग्राम सिघोरा तहसील बसई नबाब जिला धौलपुर (राज.) ----------अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसई नबाब जिला धौलपुर ------रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.02.2025
तहसीलदार बसई नबाब प्रकरण
उनवानी सरकार बनाम बृजेश आधीन
धारा 91 एल0आर0 एक्ट प्रकरण
संख्या 239/25

उपस्थिति :–
अपीलान्ट की ओर से :–श्री अशोक दिवाकर, अभिभाषक
रेस्पोडेण्ट की ओर से :–पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक : 27.01.2026

निर्णय

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 1041/37 एवं 309 रकवा 0.4299 हैक्टेयर बांके ग्राम सिघोरा तहसील बसई नबाब जिला धौलपुर में अतिक्रमी बृजेश पुत्र श्री रामबाबू जाति त्यागी निवासी सिघोरा तहसील बसईनबाब जिला धौलपुर द्वारा सम्वत 2081 फसल रबी में सरसों बोकर अतिक्रमण किया जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का कुरैंधा मय जांच रिपोर्ट गिरदावर द्वारा तहसीलदार बसई नबाब के यहां धारा 91 एल आर एक्ट का पेश किया जिस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस अपीलान्ट के विरूद्ध जारी किया गया जिस पर अपीलान्ट द्वारा नोटिस के जवाब एवं उसके साथ संलग्न तहसीलदार सैपऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.02.2001 से 2003 व 2006, 2008 व 2013 से 2018 तक तहसीलदार व नायब तहसीलदार सैपऊ व बसईनबाब द्वारा पुराना कब्जा मानते हुए नियमन की सिफारिशें की गयी जिनके आधार पर पत्रावली उपखण्डाधिकारी सैपऊ के यहां लम्बित है के निर्णयों की प्रति पेश कर निवेदन किया कि उक्त आराजी पर मेरा बहुत पुराना कब्जा है और मेरे पक्ष में नियमन की सिफारिशें हो चुकी है। धारा 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही लम्बित रखी जाने का निवेदन किया गया। उक्त निर्णयों में स्पष्ट रूप से नियमन होने तक कार्यवाही को लम्बित रखा गया है। अतिक्रमी/अपीलान्ट इसी आधार पर प्रकरण की कार्यवाही लम्बित रखना चाहता है। उक्त पत्रावली के अवलोकन एवं सुनने के पश्चात विवादित आराजी पर अतिक्रमी के पक्ष में रेगूलाईज नहीं हुई है केवल नियमन की सिफारिश के आधार पर कार्यवाही लम्बित नहीं रखी जा सकती जिससे विवादित आराजी को राजकीय सिवायचक भूमि से अतिक्रमी

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

को बेदखल किया गया। नीलामी के आदेश जारी किये गये शरह लगान 0.86 के 50 गुना 43 रूपये आरोपित किये गये। खडी फसल की नीलामी के आदेश किये गये जिससे असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट निम्न आधारों पर प्रस्तुत की गई है कि अपीलाधीन निर्णय व आदेश जेर अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकांतिक रूप से नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं जवाब नोटिस को अनदेखा कर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जेर अपील पारित करने में प्रकरण उनवानी सरकार बनाम बृजेश नम्वरी 907/18 निर्णय दिनांक 12.07.2018 एवं निर्णय प्रकरण सरकार बनाम बृजेश मुकदमा नम्बर 502/2017 प्रकरण सरकार बनाम बृजेश नम्वरी 502/16 निर्णय दिनांक 28.01.2016 प्रकरण सरकार बनाम बृजेश नम्वरी 645/15 निर्णय दिनांक 20.02.2014 प्रकरण सरकार बनाम बृजेश नम्वरी 605/2013 निर्णय प्रकरण सरकार बनाम बृजेश नम्वरी 391/8 प्रकरण सरकार बनाम बृजेश नम्वरी 656/2006 निर्णय दिनांक 20.03.2006 प्रकरण सरकार बनाम बृजेश निर्णय दिनांक 02.05.2022 प्रकरण सरकार बनाम बृजेश नम्वरी 599/02 निर्णय दिनांक 24.01.2002 प्रकरण सरकार बनाम बृजेश नम्वरी 1099/01 निर्णय दिनांक 19.02.2001 में अंकित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमन की सिफारिश एवं उनके द्वारा अंकित तथ्यों को नजरअन्दाज कर निर्णय जेर अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय अपील पारित करने में जो उपेक्षा पूर्व पीठासीन अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्णयों व नियमन की सिफारिश एवं प्रकरण लंम्बित रखे जाने के आदेश को नजरअन्दाज कर उनके विपरीत निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध कानूनन निर्णय पारित नहीं कर सकता जिससे भी उक्त निर्णय जेर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निजेर पारित करने में न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत अपीलान्ट द्वारा बोई काफी श्रम व पूंजी से फसल की नीलामी करने के आदेश जारी किये जिससे अपीलान्ट को काफी मानसिक एवं आर्थिक हानि हुई चूंकि उक्त कृषि भूमि से अपीलान्ट अपने परिवार का भरण पोषण करता रहा है जिससे भी अपील स्वीकार किया जाना अपेक्षित है। अपीलाधीन निर्णय जेर अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित करने में पुराने लम्बे कब्जे के आधार द्वारा एडवर्स पजैशन अपीलान्ट को अधिकार खातेदारी स्वतः ही प्राप्त हो चुके हैं। नजरअन्दाज कर नियमन की सिफारिश न की जाकर नीलामी करने का अवैद्य निर्णय पारित किया है जिससे भी अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय जेर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस हेतु पत्रावली नियत की गई।

बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1041/307 एवं 309 रकवा 0.4299 हैक्टेयर वाके ग्राम सिंघौरा तहसील बसई नबाब जिला धौलपुर में अतिक्रमी बृजेश पुत्र श्री रामबाबू जाति त्यागी निवासी सिंघौरा तहसील बसईनबाब जिला धौलपुर राज0 द्वारा सम्वत्–2081 फसल रबी में सरसों बोकर अतिक्रमण किया जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का कुरैधा मय जांच रिपोर्ट गिरदावर द्वारा

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

तहसीलदार बसई नबाब के यहां धारा 91 एल आर एक्ट का पेश किया जिस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस अपीलान्ट के विरूद्ध जारी किया गया जिस पर अपीलान्ट द्वारा नोटिस के जवाब एवं उसके साथ संलग्न तहसीलदार सैपऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.02.2001 से 2003 व 2006, 2008 व 2013 से 2018 तक तहसीलदार व नायब तहसीलदार सैपऊ व बसईनबाब द्वारा पुराना कब्जा मानते हुए नियमन की सिफारिशें की गयी जिनके आधार पर पत्रावली उपखण्डाधिकारी सैपऊ के यहां लम्बित है। उक्त निर्णयों की प्रति पेश कर निवेदन किया गया कि उक्त आराजी पर मेरा बहुत पुराना कब्जा है और मेरे पक्ष में नियमन की सिफारिशें हो चुकी है। धारा 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही लम्बित रखी जावें का निवेदन किया गया। उक्त निर्णयों में स्पष्ट रूप से नियमन होने तक कार्यवाही को लम्बित रखा गया है। अतिक्रमी/अपीलान्ट इसी आधार पर प्रकरण की कार्यवाही लम्बित रखना चाहता है। उक्त पत्रावली के अवलोकन एवं सुनने के पश्चात विवादित आराजी पर अतिक्रमी के पक्ष में रेगूलाईज नहीं हुई है केवल नियमन ही सिफारिश के आधार पर कार्यवाही लम्बित नहीं रखी जा सकती जिससे विवादित आराजी को राजकीय सिवायचक भूमि से अतिक्रमी को बेदखल किया गया। नीलामी के आदेश जारी किये गये शरह लगान 0.86 के 50 गुना 43 रूपये आरोपित किये गये। खडी फसल की नीलामी के आदेश किये गये जिससे असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट निम्न आधारों पर अपील प्रस्तुत करता है। अपीलाधीन निर्णय व आदेश जेर अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकांतिक रूप से नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं जवाब नोटिस को अनदेखा कर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जेर अपील पारित करने में प्रकरण उनवानी सरकार बनाम बृजेश नम्बरी 907/18 निर्णय दिनांक 12.03.2018 एवं निर्णय प्रकरण सरकार बनाम बृजेश मुकदमा नम्बर 276/2017 प्रकरण सरकार बनाम बृजेश नम्बरी 502/16 निर्णय दिनांक 28.01.2016 प्रकरण सरकार बनाम बृजेश नम्बरी 645/15 निर्णय दिनांक 26.02.2015 प्रकरण सरकार बनाम बृजेश नम्बरी 605/2013 निर्णय प्रकरण सरकार बनाम बृजेश नम्बरी 391/8 प्रकरण सरकार बनाम बृजेश नम्बरी 656/2006 निर्णय दिनांक 20.03.2006 प्रकरण सरकार बनाम बृजेश निर्णय दिनांक 02.05.2022 प्रकरण सरकार बनाम बृजेश नम्बरी 599/02 निर्णय दिनांक 24.01.2002 प्रकरण सरकार बनाम बृजेश नम्बरी 1099/01 निर्णय दिनांक 19.02.2001 में अंकित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमन की सिफारिश एवं उनके द्वारा अंकित तथ्यों को नजरअन्दाज कर निर्णय जेर अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय अपील पारित करने में जो उपेक्षा पूर्व पीठासीन अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्णयों व नियमन की सिफारिश एवं प्रकरण लम्बित रखे जाने के आदेश को नजर अन्दाज कर उनके विपरीत निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध कानूनन निर्णय पारित नहीं कर सकता जिससे भी उक्त निर्णय जेर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निजेर पारित करने में न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत अपीलान्ट द्वारा बोई गई फसल की नीलामी करने के आदेश जारी किये जिससे अपीलान्ट को काफी मानसिक एवं आर्थिक हानि हुई चूंकि उक्त कृषि भूमि से अपीलान्ट अपने परिवार का भरण पोषण करता रहा है जिससे भी अपील स्वीकार किया जाना अपेक्षित है। अपीलाधीन निर्णय जेर अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित करने में पुराने लम्बे कब्जे के आधार पर एडवर्स पजैशन अपीलान्ट को अधिकार खातेदारी स्वतः ही प्राप्त हो चुके हैं। जिसे नजरअन्दाज कर नियमन की सिफारिश न की जाकर

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

नीलामी करने का अवैद्य निर्णय पारित किया है जिससे भी अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय जेर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि केवल नियमन की सिफारिश मात्र से प्रकरण की कार्यवाही लम्बित नहीं रखी जा सकती। उपखण्डाधिकारी सैपऊ से कार्यवाही लम्बित रखने के बावत कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। विवादित आराजी वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक (बारानी दोयम) सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है। अपीलान्ट विवादित आराजी पर पूर्ववर्ती अतिक्रमी है। पटवारी द्वारा अतिक्रमी के विरूद्व की गई रिपोर्ट की पुष्टि होती है। अतिक्रमी का अतिक्रमण सिद्व होता है। चूंकि आराजी सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है। अपीलान्ट/अतिक्रमी उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है, वह सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि प्रकरण में विवादित आराजी पर अपीलान्ट का लम्बे समय से कब्जा है जिसकी पुष्टि प्रश्नगत निर्णय दिनांक 05.02.2025 में अंकित तहसीलदार बसईनवाब के इस कथन से होती है कि तहसीलदार सैंपउ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.02.2001 व 20.03.2006 में अतिक्रमी का 10 साल से ज्यादा समय का कब्जा मानते हुए नियमन की सिफारिश कर पत्रावली उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ को भेजी गई। एंव उक्त नियमन की सिफारिश पर नायब तहसीलदार सैंपउ द्वारा उनके निर्णय दिनांक 27.02.2013 एंव 20.02.2014 में उक्त आराजी के नियमन के निस्तारण होने तक कार्यवाही लंबित रखी गई। नायब तहसीलदार सैंपउ के निर्णय के आधार पर ही नायब तहसीलदार बसईनवाब ने निर्णय दिनांक 26.020.2015, 28.01.2016 एंव 12.03.2018 में नियमन के निस्तारण होने तक कार्यवाही लंबित रखी गई। प्रश्नगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आराजी का अतिक्रमी/अपीलान्ट के पक्ष में रेगूलाईज नही होने के कारण केवल नियमन की सिफारिश मात्र से प्रकरण की कार्यवाही को लंबित नहीं रखे जाने का निर्णय लिया गया है। यहां यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि जब अधीनस्थ न्यायालय ने स्वंय के पूर्व आदेशों के तहत अतिक्रमी/अपीलान्ट का कब्जा मानते हुए नियमन की सिफारिश की गई है ऐसी स्थिति में नियमन संबधी पत्रावली की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट किये बिना ही उसी न्यायालय द्वारा विपरीत आदेश पारित किया जाना ना सिर्फ अनुचित है बल्कि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवटंन नियम 1970 के तहत राज्य सरकार की मंशा के विपरीत भी है जबकि अपीलाधीन आदेश में पूर्व निर्णयों से नियमन की सिफारिश किए जाने के विरूद्ध कोई विवेचना भी नही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के लम्बे समय से चल रहे कब्जे के सम्बध में अपने निर्णय में कोई विवेचन नहीं की है तथा एकतरफा तथ्यों को अंकित कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया है। सरसरी तौर पर न्यायिक कार्य करना अनुचित है। यहां अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित करने से पूर्व तहसीलदार बसई नवाब द्वारा पूर्व में की गई नियमन की सिफारिश के संबध में उपखण्ड अधिकारी सैंपउ के समक्ष लंबित प्रकरण की वर्तमान स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने के कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

जिला कलक्ट
धौलपुर (राज

अतः हम न्यायहित में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 05.02.2025 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बसईनवाब को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलान्ट को पूर्ण सुनवाई का अवसर देते हुए पूर्व निर्णयों से अपीलान्ट के पक्ष में की गई नियमन की सिफारिश एंव अपीलान्ट के लंबे समय से कब्जे का विधिअनुरूप परीक्षण कर तद्नुसार अपीलान्ट द्वारा उठाए गए प्रश्नों के सम्बध में पूर्ण विवेचन करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधिक आदेश पारित करें। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ तहसीलदार बसई नबाब को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम जी जावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)